तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 164/2012 किस्म 223 आर.टी.एक्ट. बअनवान चिमाराम वगै. बनाम मगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.02.2021

पीठासीन अधिकारीः— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री करनाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।
श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।
श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.02.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 594/2009 बअनवान मगाराम बनाम चिमाराम वगै में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2011 व अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदाता संख्या 01 मगाराम के वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 26.10.2009 को अपीलांट चिमाराम व हनुमान, हीरा, सूरा, श्रीमती चम्पा, श्रीमती भूरी, केशरलाल, जीजो, खेमा, धापू व पूनमाराम का नोटिस तामील होना बताया तथा शेष के नये सिरे से नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 01 मगाराम की ओर से कभी कोई नोटिस पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुन सुनवाई हेतु प्रतिप्रेक्षित किया जाता है तो हमे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09 ने वक्त बहस निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण का निर्णय कुछ भी हो उससे रेस्पोडेंट संख्या 09 का

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नहीं होता है। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 09 को हस्तगत प्रकरण में जो पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है जो आदेश 01 नियम 10(2) के तहत पक्षकारों का कुसमायोजन के तहत अवैधानिक है। हस्तगत प्रकरण की सुनवाई जिस भी न्यायालय में होती है मुझे मेरा वकील नियुक्त करके सुनवाई पर उपस्थित होना पड़ता है जबकि हस्तगत वाद में किसी प्रकार से हित प्रभावित नहीं होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे वाद में पक्षकार के रूप से विलोपित करने के आदेश फरमाये जावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की वहस सुनने एवं पत्रावली का गंभिरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट संख्या 09 ने वक्त वहस स्वयं स्वीकार किया है कि हस्तगत वाद में जो निर्णय हो उससे मेरे हित प्रभावित नहीं होता है तथा मुझे पक्षकार से विलोपित किया जावे। न्यायहित में रेस्पोडेंट संख्या 09 का निवेदन स्वीकार करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.08.2011 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही सावित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.08.2011 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं वनाया गया प्रतिवेदित होता है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर वायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 594/2009 वअनवान मगाराम बनाम चिमाराम वगै में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2011 व अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2011 को अपास्त

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरात जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 164/2012 किस्म 223 आर.टी.एक्ट. बअनवान चिमाराम वगै. बनाम मगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे। साथ ही आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 14 को मूल वाद से विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के साथ भिजवाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर